A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

पौध सुरक्षा कार्यक्रम

प्रदेश में फसलों को कीट एवं रोगों से बचाने के लिये संस्तुत कीटनाशी रसायनों की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। वर्ष 2013–14 में विभिन्न रसायनों की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति निम्नवत रही है।

(मात्रा–किग्रा/लीटर मे)

रसायन	उपलब्धता	वितरण	अवशेष
कीटनाशक धूल	335585	232957	102628
कीटनाशक तरल	119651	80322	39329
फफूँदनाशक	115591	79943	35648
तृण नाशक	206854	140884	65970
मूषनाशक	7650	5040	2610
कुल योग	**785331**	**539146**	**246185**

वर्ष 2013–14 में खरीफ एवं रबी में कीट एवं रोगों के प्रकोपों पर समुचित नियंत्रण रखा गया है। विभिन्न पौध सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत दिसम्बर, 2013 तक क्षेत्र आच्छादन की प्रगति निम्नवत् रही है–

मद	कार्यक्रम का विवरण	उपचारित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
बीजशोधन	बुआई से पूर्व बीजशोधन की प्रक्रिया	576654
खरपतवार नियंत्रण	जमाव के उपरान्त खरपतवार नियंत्रण	116049
सामान्य कीट नियंत्रण	खडी फसल एवं भंडारण पर कीट नियंत्रण	55845
सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम	खडी फसल पर व्याधियों की रोकथाम	181030
चूहा नियंत्रण	चूहों से फसलों को बचाने के लिये चूहा नियंत्रण	308304

वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न कीटनाशी रसायनों के दुष्प्रभावों को देखते हुए एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन पद्धति के माध्यम से कीट एवं व्याधियों के नियंत्रण को अपनाने पर बल दिया है। इस पद्धति के अंतर्गत विशेष दशा मे ही संस्तुत रसायनों के उपयोग की संस्तुति की जाती है तथा जैव रसायनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। इस संदर्भ में किसानों का ग्राम स्तर पर फामर्स फील्ड स्कूलों का आयोजन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक रसायनों एवं जैव रसायनों के वितरण की प्रगति निम्नवत रही–

वर्ष	रसायनों का वितरण (मै0टन में)	जैव रसायनों का वितरण (मै0टन में)	कुल रसायनों का वितरण (मै0टन में)
2010-11	444	76	520
2011-12	467	21	488
2012-13	558	40	598
2013-14	508	31	539

विक्रय केन्द्र

कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी में कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्रों पर सभी संस्तुत रसायनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ ही उद्यान एवं सहकारिता विभाग तथा निजी विक्रेताओं को भी कीटनाशी रसायनों एवं जैव रसायनों के विक्रय के लाईसेंस कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत जारी किये जाते हैं, जिससे प्रदेश में विभिन्न फसलों पर कीट व्याधियों का समुचित नियंत्रण किया जा सके, ताकि उत्पादन के स्तर में किसी भी प्रकार से कमी न आये। वर्ष 2013–14 में प्रदेश में कुल 1949 विक्रय केन्द्रों को लाईसेस दिये गये हैं, जिससे कृषि एवं उद्यान विभाग 698, सहकारिता विभाग एवं एग्रो 96, अन्य संस्थान 242 तथा 913 निजी विक्रेता हैं। इनके द्वारा विक्रय किये गये रसायनों/जैव रसायनों का विवरण निम्नवत है–

वर्ष	वितरित किये गये रसायन एवं जैव रसायन की मात्रा (मै0टन में)			
	कृषि विभाग	सहकारिता	उद्यान एवं अन्य निजी विक्रेता	योग
2010-11	157	45	318	520
2011-12	210	31	247	488
2012-13	193	22	383	598
2013-14	374	72	339	785

योजनायें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम

इस मिशन के अंतर्गत किसानों को पौध सुरक्षा एवं मृदा प्रबन्धन के संदर्भ में चयनित जनपदों में विभिन्न पौध सुरक्षा रसायनों/जैव रसायनों के क्रय पर रसायन के मूल्य का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 500 प्रति हैक्टेयर का व्यय अनुमन्य है। इसी योजना के अंतर्गत भारत सरकार की नेशनल सेन्टर फार इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आई0सी0ए0आर0 संस्था द्वारा संस्तुत मित्र कीटों के लिये सुरक्षित संस्तुत लाइट ट्रेप प्रदर्शन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पौध सुरक्षा के लिये उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार छिड़काव करने वाली मशीनें अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराई गयी है। सामान्यतः अनुदान की सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है।

कृषक प्रशिक्षण

पौध सुरक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में कृषकों का प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में किसानों के लिये उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत रसायनों पर अनुदान की सुविधा के साथ–साथ कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं, जिनमें कृषकों को फसलों की शस्य क्रियाओं के साथ–साथ कीट रोगों के नियंत्रण की पूर्ण जानकारी दी जा रही है।

गुण नियंत्रण प्रयोगशाला

राज्य में विभिन्न कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंडल स्तर पर 2 कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें स्वीकृत हैं।रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) एव देहरादून में नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण कार्य किये जा रहे रसायनों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0स0	विश्लेषित रसायन	
	रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)	देहरादून
1	कापर आक्सीक्लोराइड 50 डब्ल्यू0पी0	कापर आक्सीक्लोराइड 50 डब्ल्यू0पी0
2	कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 एस0पी0	कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 एस0पी0
3	कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4–जी0	कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4–जी0
4	कार्बोफ्यूरान–3जी0	सल्फर 80 डब्ल्यू0डी0जी0
5	सल्फर 80 डब्ल्यू0पी0	सल्फर 80 डब्ल्यू0पी0
6	2–4डी इथाइल ईस्टर 80 एस0एल0	2–4डी इथाइल ईस्टर 80 एस0एल0
7	2–4 डी, एमिन सॉल्ट 38 ई0सी0	2–4 डी, एमिन सॉल्ट 38 ई0सी0
8	कार्बनडाजिम 50 डब्ल्यू0पी0	कार्बोफ्यूरान–3जी0
9	कैपटॉन 50 डब्ल्यू0पी0	कैपटॉन 50 डब्ल्यू0पी0
10	2–4 डी सोडियम सॉल्ट 80 टै0	2–4 डी सोडियम सॉल्ट 80 टै0
11	इमिडाक्लोरपिड 17.8 एस0एल0	सल्फर 90 डब्ल्यू0पी0
12	डाइक्लोरोवॉस 76 ई0सी0	डाइक्लोरोवॉस 76 ई0सी0
13	डाइकोफॉल 18.5 ई0सी0	डाइकोफॉल 18.5 ई0सी0
14	इमिडाक्लोरपिड 70 डब्ल्यू0पी0	सल्फर 85 डब्ल्यू0पी0
15	ग्लाईफॉसैट 41 एस0एल0	फोरेट 10 जी0
16	हैक्साकोनाजॉल 5 एस0सी0	क्यूलानफॉस 25 ई0सी0
17	–	क्लोरोपाइरीफॉस 20 एफ0सी0

बायो कन्ट्रोल लैब

राज्य में जैव रसायनों के निर्माण हेतु भीमताल (नैनीताल) एवं ढकरानी (देहरादून) में प्रयोगशाला भवनों का निर्माण किया गया है. उपकरणों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से धनराशि व्यवस्था कर ली गयी है, जिसके उपयोग के लिए उपकरणों/मशीनों हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही है। उपकरणों एवं अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति होने पर प्रयोगशाला में कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

निर्माण इकाईयॉ

राज्य के अंतर्गत कीटनाशी रसायनों के निर्माण की 9 इकाइयॉ स्थापित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है।

1. मै0 शिवालिक रसायन, देहरादून
2. मै0 श्रीराम सोल्वेंट एण्ड एक्सट्रेक्शन्स जसपुर, उधमसिंहनगर
3. मै0 जोश एग्रो कैमिकल्स कोटद्वार (पौडी गढवाल)
4. मै0 एग्रो बायो प्रोडक्ट्स हलद्वानी (नैनीताल)
5. मै0 मोन्तरी एग्रो कैमिकल्स रुडकी जिला हरिद्वार
6. मै0इन्टरनेशनल पैनेसिया लिमिटेड, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार
7. मै0 कान्हा हर्ब्स, सिडकुल, कोटद्वार (पौडी गढवाल)
8. मै0 गौरी इन्डिया कैमटैक, प्रा0लि0, पनियाला, रूड़की
9. मै0 बी0पी0 कैमिकल्स, काशीपुर, उधमसिंहनगर

कीटनाशी अधिनियम 1968

राज्य में कीटनाशी रसायनों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर विक्रेताओं से कीटनाशी रसायनों के नमूने आहरित कर विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं, तथा अमानक पाये गये नमूनों के संदर्भ में यथोचित कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत 256 नमूनों का आहरण किया गया है, जो विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गये हैं। इनके सापेक्ष अभी तक 179 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 13 अमानक पाया गये है, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत आहरित/विश्लेषित नमूनों की प्रगति

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य			गत माह तक आहरित नमूनों की संख्या	माह में आहरित नमूनों की संख्या	क्रमिक आहरित नमूनों की संख्या	विश्लेषित/अविश्लेषित नमूनों की संख्या				पूर्ति का प्रतिशत खरीफ
		खरीफ	रबी	योग				कुल विश्लेषित नमूनों की संख्या	कुल अविश्लेषित नमूनों की संख्या	मानक	अमानक	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01.	नैनीताल	40	30	70	50	7	57	37	20	33	4	81.43
02.	ऊधमसिंहनगर	65	55	120	81	12	93	73	20	70	3	77.50
03.	अल्मोड़ा	8	7	15	5	0	5	5	0	5	0	33.33
04.	बागेश्वर	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00
05.	चम्पावत	5	5	10	10	0	10	9	1	7	2	100.00
06.	पिथौरागढत्र	8	7	15	5	3	8	5	3	5	0	53.33
योग कुमाऊॅ मण्डल		131	107	238	151	22	173	129	44	120	9	72.69
07.	देहरादून	30	20	50	21	0	21	19	2	17	2	42.00
08.	पौड़ी	12	8	20	5	1	6	0	6	0	0	30.00
09.	टिहरी	8	6	14	4	1	5	3	2	3	0	35.71
10.	चमोली	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11.	रूद्रप्रयाग	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12.	उत्तरकाशी	5	5	10	1	0	1	1	0	1	0	10.00
13.	हरिद्वार	30	20	50	43	7	50	27	23	25	2	100.00
योग गढ़वाल मण्डल		95	67	162	74	9	83	50	33	46	4	51.23
योग उत्तराखण्ड		226	174	400	225	31	256	179	77	166	13	64.00